

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 संख्या:- 3/अ0प्र0-1-191/2019

35

/पटना, दिनांक :- 11.6.2020

कार्य प्रमण्डल महाराजगंज में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सीसई मोड़ से सिरमौरा पथ पैकेज सं0-BR-34R-198 एवं गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से डुमछ तक पैकेज सं0-BR-34R-221 के निर्माण में सही नियंत्रण एवं सही पर्यवेक्षण नहीं करने के चलते पथ का निर्माण ससमय नहीं होने एवं गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से डुमछ तक पैकेज सं0-BR-34R-221 के चैनेज 3.5 कि0मी0 से चैनेज 4.6 कि0मी0 तक तथा 4.8 कि0मी0 से 5.15 कि0मी0 तक GSB प्रावधानित 175 mm के स्थान पर क्रमशः 125 mm एवं 150 mm पाये जाने, इन चैनेजों पर GSB कार्य प्रावधानित मुटाई में नहीं कराने के आरोपों के लिए श्री गणेश कुमार मंडल, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1191 अनु0 दिनांक 28.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।


2. श्री मंडल के पत्रांक शुन्य दिनांक 29.06.2018 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि गोपालपुर प्राथमिक विद्यालय से दबछू तक पैकेज संख्या- BR-34R-221 का सघन पर्यवेक्षण सहायक अभियन्ता के साथ किया गया था लेकिन संवेदक द्वारा कार्य की प्रगति में अपेक्षित अभिरूचि नहीं ली जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही।

3. श्री मंडल के स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संवेदक के द्वारा कार्य को ससमय गुणवत्ता पूर्ण नहीं कराने के लिए श्री मंडल जिम्मेवार हैं।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री गणेश कुमार मंडल, कनीय अभियंता के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।


5. अतः उक्त के आलोक में श्री गणेश कुमार मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, राजगीर के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (v) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक


(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1110 /पटना, दिनांक :- 11.6.2020


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत/महाराजगंज/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-4,/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री गणेश कुमार मंडल, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, महाराजगंज सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1110 /पटना, दिनांक :- 11.6.2020


प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-191/2019 1110 /पटना, दिनांक :- 11.6.2020

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख